(81)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

फा0 सं0 02/07/2020/एस–1/पार्ट फा0/81 दिनांक 22.04.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपायों को लेने के लिए समय–समय पर सभी अधिकारियों को विभिन्न आदेश/निर्देश जारी किए हैं;

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आदेश संख्या 122–ए दिनांक 29.03.2020 जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, पैरा 10 और 11 में भी निर्देश दिये हैं कि (i) जहां भी प्रवासियों सहित श्रमिक किराए के आवास में रह रहे हैं, उन संपत्तियों के मकान मालिक एक महीने की अवधि के लिए किराए के भुगतान की मांग नहीं करेंगे, और (ii) यदि कोई मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना परिसर खाली करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो वह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

और जबकि, मकान मालिकों द्वारा किराये के भुगतान के लिये छात्रों पर दबाव डालने अथवा मकान से निकालने संबंधी घटनाओं को सरकार के संज्ञान में लाया गया है।

अब, इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा उपरोक्त आदेश न0 122–ए के पैरा 10 और 11 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट विशेष रूप से श्रमिकों/प्रवासी कामगारों/छात्रों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस मुद्दे पर जागरूकता अभियान चलाएंगे, और प्रभावित व्यक्तियों को पुलिस नियंत्रण कक्ष में '100' नम्बर पर कॉल करके शिकायतें दर्ज कराने की सलाह देंगे। पुलिस आयुक्त दिनांक 27.04.2020 से शुरू होने वाले प्रत्येक सोमवार को समकक्ष जिला

मजिस्ट्रेट को इस तरह की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

**(विजय देव)**
**मुख्य सचिव, दिल्ली.**

**सेवा में,**

1. विशेष आयुक्त पुलिस (संचालन), दिल्ली।
2. समस्त ग्यारह जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
3. समस्त ग्यारह जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–**

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
7. प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।
8. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाईल।